न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 – 31/2022

अनवान : –

1. बुधराम पुत्र नारायणराम जाति माली साकिन गणेशपुरा।
2. पुर्णराम उर्फ पुर्णमल पुत्र नारायणराम जाति माली साकिन गणेशपुराबास भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. दाखा पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास ।
2. कमला पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास ।
3. मोहना पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास।
4. लाला उर्फ सुशीला पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास भादरा तहसील भादरा।
5. सन्तो पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र शर्मा वादी
श्री राममूर्ति ताखर प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 29.08.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 171/157 के मु0 न0 48 के किला नं0 16, 17, 24, 25 मु0 नं0 66 के किला नं0 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, मु0 नं0 129 के किला नं0 1/1, 12, 19, 20/1 की कुल 2.7450 है0 में प्रतिवादीया कमला, दाखा, मोहना, लाला एवं सन्तो प्रत्येक का 3511/192150 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है एवं इसी प्रकार चक 10 बारानी के खाता सं0 78/71 के मु0 न0 1 के किला नं0 19 से 22, 23/1, 23/2, मु0 नं0 30 के किला नं0 1, 2/1, 2/2, 3, 9, 10 की कुल 2.0230 है0 में प्रतिवादीया दाखा, मोहना व लाला प्रत्येक का 1/90 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के पिता नारायणराम की खातेदारी हुआ करती थी। नारायणराम के बाद वाद भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रतिवादीया सं0 1 ता 5 वादीगण की सगी बहने है। जो अपने ससुराल में सकुशल आबाद है। प्रतिवादीया दाखां, कमला, एवं मोहना ने उपरः वर्णित चक 8 बारानी व चक 10 बारानी दोनों खातों में अपना समस्त हक हिस्सा अपने सगे भाईयों के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीया सन्तो ने चक 8 बारानी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खाता सं0 171/157 में अपना हक हिस्सा अपने भाई वादी पूर्णराम उर्फ पूर्णमल के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का वादीगण कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने आपसी राहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया । प्रतिवादी सं0 1 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया ।

साक्ष्य वादी में वादी बुधराम के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने राहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 171/157 के मु0 न0 48 के किला नं0 16, 17, 24, 25 मु0 नं0 66 के किला नं0 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, मु0 नं0 129 के किला नं0 1/1, 12, 19, 20/1 की कुल 2.7450 है0 में प्रतिवादीया कमला, दाखा, मोहना, लाला एवं सन्तो प्रत्येक का 3511/192150 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है एवं इसी प्रकार चक 10 बारानी के खाता सं0 78/71 के मु0 न0 1 के किला नं0 19 से 22, 23/1, 23/2, मु0 नं0 30 के किला नं0 1, 2/1, 2/2, 3, 9, 10 की कुल 2.0230 है0 में प्रतिवादीया दाखा, मोहना व लाला प्रत्येक का 1/90 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है, उक्त वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में पहले से दर्ज है। प्रस्तुत वाद वादीगण पूर्णतया: दस्तबदारी से संबंधित है। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजातों का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत किसी भी प्रकार का घोषणात्मक वाद प्रतीत नहीं होता है। दस्तबदारी से संबंधित क्षेत्राधिकार तहसीलदार से संबंधित होने तथा वाद वादीगण अपना वाद साबित करने में असफल होने के कारण वाद वादीगण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 — 31/2022

अनवान : —

1. बुधराम पुत्र नारायणराम जाति माली साकिन गणेशपुरा।
2. पुर्णराम उर्फ पुर्णमल पुत्र नारायणराम जाति माली साकिन गणेशपुराबास भादरा जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. दाखा पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास ।
2. कमला पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास ।
3. मोहना पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास।
4. लाला उर्फ सुशीला पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास भादरा तहसील भादरा।
5. सन्तो पुत्री नारायणराम सैनी निवासी गणेशपुराबास।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.8.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)